तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप०। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस पूर्व निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय में एक प्रकरण पृथक से जैरकार है जिसका वाद सं0 121/दावा/2029 बउनवान रामरतन बनाम रामपाल है जिसमे तारीख पेशी आदिनांक ही नियत है। वकील प्रतिवादी के कथन पर पश्चातवर्ती वाद का अवलोकन किया गया। पश्चातवर्ती वाद एवं पूर्ववर्ती वाद दोनो में ही समान ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा बाबत वाद दायर है जिसमें समान पक्षकार एवं समान अनुतोष वांछित है। उक्त दोनो वाद समान भूमि एवं समान अनुतोष बाबत जैरकार होने से दोनो वादो को पृथक पृथक जैरकार रखे जाने से विरोधाभासी निर्णय पारित होना सम्भावित है। अतः पश्चातवर्ती वाद सं0 121/दावा/19 रामरतन बनाम रामपाल वगै0 को पूर्ववर्ती वाद सं0 120/दावा/19 बउनवान हेमराज बनाम रामरतन वगै0 के साथ समेकित किया जाता है। उक्त आदेश का अंकन पश्चातवर्ती वाद सं. 121/दावा/19 रामरतन बनाम रामपाल वगै0 में किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.4.2026 को पेश हो।	
16/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/4/26 को पेश हो।	
23/4/26	वकु० उप०। निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि 6/5/26 को पेश हो।	
6/5/26	वकु० उप० पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद एवं समेकित वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील जिम्माउन्वान दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
120/दावा/2019	11.10.2019	06.05.2026

1. हेमराज आयु 45 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी
2. रमेश अयु 40 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी
3. गोपाल आयु 38 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
4. भागीरथ आयु 65 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी
5. रामपाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जातियान माली निवासी ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामरतन आयु 65 वर्ष आत्मज श्री उदा जी
2. गोपाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री उदा जी जातियान माली निवासी ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
3. किशन गोपाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गणपत जी जाति माली निवासी ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
4. रामनारायण आयु 65 वर्ष आत्मज श्री कंवरया
5. धन्ना लाल आयु 60 वर्ष अत्मज श्री कंवरया
6. मुकेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री कंवरया जातियान माली निवासीगण सुंवासा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान
7. सत्यनारायण आयु 65 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी
8. रामलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी
9. लक्ष्मीचन्द आयु 45 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
10. बरधा आयु 70 वर्ष आत्मज श्री देव्या जी
11. मोहन आयु 68 वर्ष आत्मज श्री देव्या जी
12. किशन आयु 60 वर्ष आत्मज श्री देव्या जातियान माली निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

समेकित वाद

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
121/दावा/2019	21.10.2019	06.05.2026

रामरतन आयु 70 वर्ष आत्मज श्री उददा जाति माली निवासी सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

1. रामपाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री भैरूलाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
2. गणेश आयु 35 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
3. बनवारी आयु 34 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
4. कालूलाल आयु 32 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

हेमराज आयु 45 वर्ष आत्मज श्री बाबूलाल जाति माली निवासी कुन्हाडी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा राज0

6. ओम आयु 30 वर्ष आत्मज श्री हेमराज जाति माली निवासी कुन्हाडी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा राज0
7. रमेश आयु 40 वर्ष आत्मज श्री बाबूलाल जाति माली निवासी कुन्हाडी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा राज0
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट
उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीः- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादीः- श्री रामकैलाश नागर

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा- 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 585 रकबा 04 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1000 रकंबा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी में स्थित हैं जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 का पिढ्री वृक्ष निम्न प्रकार है-

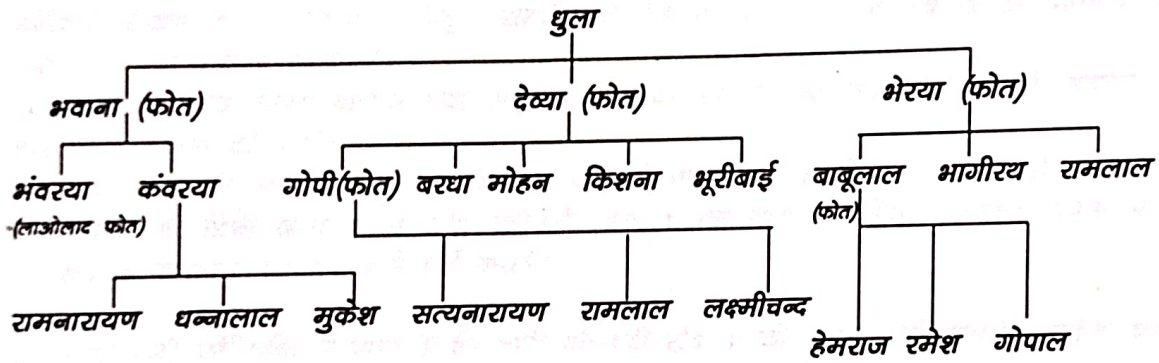

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के पूर्वजो भवाना, देव्या व भेरया के नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी पंचसाला सम्वत 2012 से 2015, सम्वत 2016 से 2019 तथा सम्वत 2020 से 2023 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के पूर्वजो के नाम खाते दर्ज चली आ रही थी। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के पूर्वज काबीज काश्त थे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के पूर्वजो के मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियो से मिलीभगत करके प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पूर्वजो उदा व गणपत ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को बिना किसी आधार ने अपने खाते दर्ज करवा लिया। तब से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पूर्वजो उदा व गणपत के तथा उदा व गणपत की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। भू प्रबंध विभाग, के कर्मचारियो ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पूर्वजो को लाभ पहुचने की नियम से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के हक अधिकार की कृषि भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के पूर्वजो उदा व गणपत के खाते दर्ज कर दी जिसे वादीगण व प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। भवाना के पुत्र भवरया के लाओलाद फोत हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित हो जाने के बाद जब-जब भी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपना नाम उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड से विलोपित करवाने के लिए कहा तो आनाकानी करता चला आ रहा हैं। वादीगण अंतिम बार माह अगस्त 2019 को प्रतिवादी रामरतन से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में से अपना नाम विलोपित करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी रामरतन ने अपना नाम विलोपित करवाने से इनकार करते हुये वादीगण को धमकी दी उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी

अंकित होने से प्रतिवादी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने अन्य को न बेचान करके रहेगा। यही वादीगण के वाद का कारण हैं। प्रतिवादी रामरतन वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठने की नियत से प्रतिवादी रामरतन उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करके अन्य को रहन बय करने पर आमादा हैं जब कि प्रतिवादी रामरतन का उक्त वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भू-भाग पर भोतिक रूप से कब्जा नहीं हैं। वादीगण का आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की प्रतिवादी रामरतन उक्त वर्णित कृषि भूमि को अन्य को रहन बय नहीं करे तथा वादीगण के शातिपूर्वक कब्जा काश्त में दखल अदाजी न करे। वादीगण निम्न प्रार्थना करते है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री जारी करते हुये वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 रामरतन का नाम विलोपित फरमाते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लागायत 12 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने की डिक्री पारित फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा में पाबन्द किये जाने की डिक्री पारित करे की प्रतिवादी रामरतन वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त मे अन्य को रहन बय नहीं करें। दोराने वाद को प्रतिवाद रामरतन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल करने मे सफल हो जावे तो कब्जा भूमि वादीगण को दिलवाया जावे ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1,2,3,7,9,10,11 एवं 12 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र मनगढन्त मिथ्या एवं बनावटी होने के कारण वाद वादी अस्वीकार है। कृषि भूमि खसरा संख्या 585 रकबा 4 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1000 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुवांसा है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्वजो से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुयी है तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

वादपत्र एवं जवाब वादपत्र तथा समेकित वाद का वादपत्र एवं जवाब वादपत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि बाबत अधिकार घोषणा की डिक्री जारी करावे तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम विलोपित करवाकर अपना व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 12 का नामे दर्ज करावें।

वादी

2. आया वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द करावे।

वादी

3. आया प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज काश्त रहे।

प्रतिवादी।

4. अनुतोष

समेकित वाद की तनकीयात

1. आया कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये की प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर कब्जा नही करे।

वादी

2. आया कि प्रतिवादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त कर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाये।

प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

पूर्ववर्ती वाद में साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही किये गये। समेकित वाद में वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में वादी रामरतन ने स्वयं का शपथपत्र पेश कर नक्शा ट्रेस प्रदर्श-1 व 2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 579 वाके ग्राम सुवासां सम्वत 2071 से 2075 प्रदर्श-3 पेश किये। इसके अतिरिक्त द्वारका लाल आ0 रामरतन का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में गणेश लाल व गोपाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1000 रकबा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज भवाना, देव्या, भैरया पि0

जी के खातेदारी अधिकार की भूमि थी। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज उदा व गणपत भू0 प्रबन्ध विभाग से मिलिभगत कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा ली। जो उदा व गणपत की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज चली आ रही है जो कि गलत है। अतः वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1000 पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वाद वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो की भूमि थी जो प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्वजो से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुयी है तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 1000 व 1001 वाके ग्राम सुंवासा पर जबरन कब्जा करने की मंशा से यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 पर वादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर वादीगण के विरूद्ध प्रथक से एक वाद वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था जो इस वाद के साथ पश्चातवृति होने से इस वाद के साथ समेकित है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो से प्राप्त पैतृक सम्पति है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। इस भूमि पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है। अतः वाद वादी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी के समेकित वाद में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। ताकि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की भूमि पर वादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र, जवाब वादपत्र एवं साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन कर पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में कायम तनकीयात का विवेचन निम्नानुसार है।

1. **आया वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि बाबत अधिकार घोषणा की डिक्री जारी करावे तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम विलोपित करवाकर अपना व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 12 का नामे दर्ज करावें।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति थी। जो सम्वत 2028-2047 भू0 प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी खाता संख्या 171 अनुसार भंवरीया, कवरीया पि0 भवाना व टेव्या, भैरू पि0 धूला कौम माली के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकार्ड थी। सम्वत 2020 से 2023 की जमाबन्दी में उदा व गणपत पि0 नन्दा कौम माली के खाते दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबन्दीयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्समय उक्त खाते सामलाती थे। किन्तु वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 579 वाके ग्राम सुवासां का अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी केवल रामरतन वल्द उदा के खाते दर्ज रिकार्ड है। किन्तु तत्कालीन सम्वत 2020 से 2023, 2028 से 2047 में क्रमशः 15 व 13 खसरा दर्ज रिकार्ड थे किन्तु वर्तमान खाते में रामरतन के 5 खसरा नम्बर दर्ज रिकार्ड है उक्त स्थिति में यह स्पष्ट नही हो रहा है कि सम्वत 2020 से 2023 व 2028 से 2047 के पश्चात तत्कालीन खातेदारो से उक्त भूमि पृथक पृथक खातेदारो के नाम किस प्रकार विभाजित हुयी। उक्त स्थिति को वादी द्वारा अपने वाद पत्र अथवा बहस के दोरान भी स्पष्ट नही किया गया ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के खाते दर्ज भूमि को अवेधानिक प्रविष्टि नही माना जा सकता। वादी द्वारा के मात्र खसरा संख्या 1000 के गलत प्रविष्टि को अधिकार घोषणा के अन्तर्गत चुनोती दी है जबकि यदि सेटलमेन्ट के दोरान खाते की प्रविष्टि में त्रुटि हुयी थी तो वादी को तत्समय ही सेटलमेन्ट में हुयी त्रुटी को दुरूस्त करने हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत चुनोती देकर प्रविष्टि को दुरूस्त करवाना चाहिये था। अतः वादी वाद वर्णित तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहने से यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

2. **आया वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार मे दर्ज रिकार्ड है एवं वादी तनकी संख्या 1 अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपने अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकार नही होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **आया प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज काश्त रहे।**

wy

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खाता संख्या 579 वाके ग्राम सुवासां सम्वत 2072-75 अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकार्ड होकर काबिज काश्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 के कबजे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी अन्य द्वारा किये जाना न्यायोचित नही है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार निहित है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

4. **अनुतोष** - उक्त अनुतोष का निर्धारण समेकित वाद की तनकीयो के विवेचन के पश्चात अन्तिम रूप से किया जायेगा।

समेकित वाद की तनकीयात

1. **आया कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये की प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर कब्जा नही करे।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी(पश्चातवर्ती वाद) पर था। वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 रामरतन के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकार्ड होने से उक्त आराजी पर समस्त खातेदारी अधिकार खातेदार रामरतन को निहित है। वाद वर्णित आराजी बाबत पूर्व से ही एक अन्य वाद 88,89 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया है जो कि वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान् के मध्य विवाद का होना स्वतः ही सिद्ध करता है, वादग्रस्त आराजी वादी रामरतन के खातेदारी अधिकार की भूमि होने से वादी को वादग्रस्त आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार एवं उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार है एवं उन अधिकारो को सुरक्षित रखे जाने का भी अधिकार प्रदान किया जाना वादग्रस्त आराजी पर कासकेस जैरकार होने से प्रकरण में स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

2. **आया कि प्रतिवादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त कर विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाये।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो की वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 पर वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड किया जावे। यहा यह भी विचारणिय है की उक्त आराजी पैतृक सम्पति है तो उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी दोनो का हिस्सेनुसार अधिकार बनता है। किन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त खसरो पर वादी का नाम विलोपित कर प्रतिवादी का नाम दर्ज करने का अनुतोष किस आधार पर चाहा गया । यह तथ्य स्पष्ट नही किया है यदि यह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय सहमति बंटवारा/बंटवारा से पृथक-पृथक हुयी है तो उसके उल्लेख भी यहाँ पक्षकारो द्वारा नही किया गया है। अतः यह तनकी वादी(पश्चातवर्ती वाद) के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **अनुतोष** - वादपत्र, जवाब वादपत्र, समेकित वादपत्र, समेकित जवाब वादपत्र, पत्रावलियो पर उपलब्ध दस्तावेज, बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं दोनो वादो की कायम तनकियो का तनकीवार विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1000 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1001 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा रामरतन आ0 उदा के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादीगण हेमराज वगै0 अपने खातेदारी अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहे है। इसके विपरित प्रतिवादी रामरतन वादग्रस्त आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के समुचित कारणो को प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वाद वादी वाद संख्या 120/2019 हेमराज बनाम रामरतन में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 हेतु प्रस्तुत पश्चातवर्ती वाद 121/2019 रामरतन बनाम रामपाल वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा तनकीवार विवेचन एवं वाद पत्र के अभिकथनो को प्रमाणित करने में सफल रहने से स्वीकार कर समेकित वाद में वर्णित प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 वाके ग्राम सुंवासा पर वादी खातेदार के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं दखलंदाजी करे ना अन्य से करावे, ना जबरन स्वयं कब्जा करे ना अन्य से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास माननीय नरेश , आर0ए0एस0

वाद 120/दावा/2019

1. हेमराज आयु 45 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी
2. रमेश आयु 40 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी
3. गोपाल आयु 38 वर्ष आत्मज श्री बाबू लाल जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
4. भागीरथ आयु 65 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी
5. रामपाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री भैरू लाल जी जातियान माली निवासी ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामरतन आयु 65 वर्ष आत्मज श्री उदा जी
2. गोपाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री उदा जी जातियान माली निवासी ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
3. किशन गोपाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गणपत जी जाति माली निवासी ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
4. रामनारायण आयु 65 वर्ष आत्मज श्री कंवरया
5. धन्ना लाल आयु 60 वर्ष अत्मज श्री कंवरया
6. मुकेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री कंवरया जातियान माली निवासीगण सुंवासा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी
7. सत्यनारायण आयु 65 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी
8. रामलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी
9. लक्ष्मीचन्द आयु 45 वर्ष आत्मज श्री गोपी जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान
10. बरधा आयु 70 वर्ष आत्मज श्री देव्या जी
11. मोहन आयु 68 वर्ष आत्मज श्री देव्या जी
12. किशन आयु 60 वर्ष आत्मज श्री देव्या जातियान माली निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बूंदी
13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

समेकित वाद 121/दावा/2019

रामरतन आयु 70 वर्ष आत्मज श्री उददा जाति माली निवासी सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

1. रामपाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री भैरूलाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
2. गणेश आयु 35 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
3. बनवारी आयु 34 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
4. कालूलाल आयु 32 वर्ष आत्मज श्री रामपाल जाति माली निवासी माता जी का मौहल्ला सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

हेमराज आयु 45 वर्ष आत्मज श्री बाबूलाल जाति माली निवासी कुन्हाडी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा राज0

6. ओम आयु 30 वर्ष आत्मज श्री हेमराज जाति माली निवासी कुन्हाडी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा

7. रमेश आयु 40 वर्ष आत्मज श्री बाबूलाल जाति माली निवासी कुन्हाड़ी कोटा कुन्हाडी माता जी के पास कोटा राज0

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई रामकैलाश नागर मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी वाद संख्या 120/2019 हेमराज बनाम रामरतन में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 हेतु प्रस्तुत पश्चातवर्ती वाद 121/2019 रामरतन बनाम रामपाल वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा तनकीवार विवेचन एवं वाद पत्र के अभिकथनो को प्रमाणित करने में सफल रहने से स्वीकार कर समेकित वाद में वर्णित प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1000 व 1001 वाके ग्राम सुंवासा पर वादी खातेदार के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं दखलंदाजी करे ना अन्य से करावे, ना जबरन स्वयं कब्जा करे ना अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई		रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महबताबा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मबाना मुतफरिक मीजान				स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महबताबा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मबाना मुतफरिक		

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06 माह 05 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा